भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *363

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

गंभीर बीमारियों का नि:शुल्क उपचार

***363. श्री हरीश चंद्र मीना:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सहित देश में कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बीमारियों के परीक्षण, निदान और प्रबंधन के लिए चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है जिसके कारण उपचार में देरी होती है और यहां तक कि उपचार के अभाव में कई रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी अस्पतालों में कैंसर और न्यूरो जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का लाखों रुपये का खर्च है जिसके कारण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग उपचार नहीं करा पाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इन बीमारियों का इलाज नि:शुल्क करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

20 दिसंबर, 2024 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 363 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): प्रमुख गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) नामत: उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुख कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाश्य ग्रीवा कैंसर की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा 2010 में गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) शुरू किया गया था, जिसमें बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और उचित स्तर के स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र के लिए रेफरल पर बल दिया जाता है। कार्यक्रम के तहत, देशभर में 770 जिला एनसीडी क्लीनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू), 372 जिला डे केयर सेंटर और 6410 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में, 48 जिला एनसीडी क्लीनिक, 08 कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू), 33 जिला डे केयर सेंटर और 760 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2018 में एनपी-एनसीडी के तहत एनसीडी स्क्रीनिंग और प्रबंधन तथा पांच सामान्य एनसीडी के लिए निरंतर परिचर्या सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय एनसीडी पोर्टल शुरू किया है।

प्रशिक्षित फ्रंटलाइन कर्मियों [मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और सहायक नर्स और दाई (मिडवाइफ) (एएनएम)] के माध्यम से रोकथाम, नियंत्रण और जांच सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों के माध्यम से रेफरल सहायता और स्वास्थ्य परिचर्या की निरंतरता सुनिश्चित की जाती है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों अर्थात नर्सों, एएनएम, आशा और चिकित्सा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु एनसीडी के लिए जांच, प्रबंधन और जागरूकता सृजन पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए हैं।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (अवसंरचना और मानव संसाधन) 2022-2023 रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के संस्वीकृत पदों, उनकी तैनाती की स्थिति और कमी के बारे में विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता के लिए सहायता प्रदान की जाती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से अल्पसेवित और वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार किया जा सके। आवश्यक दवाओं और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर जाने वाले रोगियों की जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क दवा सेवा पहल और निःशुल्क निदान सेवा शुरू की गई है। एनपी-एनसीडी के तहत, कैंसर रोधी दवाएं जिला अस्पतालों और उप-मंडल अस्पतालों में आवश्यक दवाओं की सूची में उपलब्ध हैं।

स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों में विभिन्न स्तरों पर गैर-संचारी रोगों का निदान और उपचार किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए उपचार या तो मुफ़्त है या अत्यधिक सब्सिडी वाला है। प्रमुख गैर-संचारी रोगों का उपचार आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के तहत भी उपलब्ध है। इस योजना में भारत की आबादी के निचले 40% हिस्से में आने वाले 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम जेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है।

एबी पीएम-जेएवाई के स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) के नवीनतम राष्ट्रीय मास्टर के अंतर्गत एनसीडी और एनसीडी के कारण उत्पन्न जटिलताओं सहित 27 विशेषज्ञताओं में 1961 प्रक्रियाओं से संबंधित कैशलेस स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे कैंसर के उपचार (रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी), स्ट्रोक प्रबंधन, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी बाईपास, त्वरित उच्च रक्तचाप और डायबिटिक फुट, आदि के लिए पैकेज। ये उपचार योजना के तहत सूचीबद्ध 29,929 से अधिक अस्पतालों के नेटवर्क पर उपलब्ध हैं।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) योजना सरकार द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के नाम से समर्पित आउटलेट स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी, ताकि सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा सकें। 21 अक्टूबर 2024 तक, देश में 14,000 से अधिक पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाओं और 300 सर्जिकल उपकरणों को योजना के दायरे में लाया गया है, जिसमें हृदय संबंधी, कैंसर रोधी, मधुमेह रोधी दवाएँ शामिल हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल, उपचार के लिए वहनीय दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत), का उद्देश्य कैंसर, हृदय संबंधी और अन्य बीमारियों के उपचार के लिए किफायती दवाएं उपलब्ध कराना है। 30.11.2024 तक 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 218 अमृत फार्मेसियाँ फैली हुई हैं, जिनपर 6,500 से अधिक दवाएँ (हृदय संबंधी, कैंसर, मधुमेह, स्टेंट आदि सहित), प्रत्यारोपण, सर्जिकल डिस्पोजेबल और अन्य उपभोग्य सामग्रियों को बाजार दरों पर 50% तक की महत्वपूर्ण छूट पर बेचा जा रहा है।

केंद्र सरकार विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर कैंसर देखभाल के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कैंसर विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र सुदृढ़ीकरण योजना कार्यान्वित करती है। इस योजना के तहत, 14 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) और 18 विशिष्ट कैंसर स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र (टीसीसीसी) कार्यरत हैं और रोगी स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं।

******